तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से जवाब मय counter प्रा.पत्र पेश। अप्रार्थी सं. 02, 03, 10 ता 14, 15 को जवाब पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके है। जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया जाता है। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/05/24 को पेश हो।	
30/05/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस प्रार्थी– " विवादित भूमि प्रार्थिनी की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थिनी का 1/8 हि. बनता है। अप्रार्थी सं. 01 ने 20 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को 19/09/12 को ख.सं. 01 व 02 में से बेचान कर दी। वर्ष 2020 में 62 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 10 से 14 को बेचान कर दी। अप्रार्थी सं. 01 पूरी भूमि अपने नाम पर होने का फायदा उठाकर बेचान करने पर आमदा है। अतः ग्राम नारवा खिचियान के ख.सं. 182, 193, 184, 479 का बेचान ना हो।"	
	मुताबिक बहस अप्रार्थी– " विवादित भूमि का बंटवारा मगसिंह एवं उनके एकमात्र पुत्र देवीसिंह के बीच हुआ, जिसके अनुसार ख.सं. 182, 479 की भूमि मगसिंह के बंट में रही तथा ख.सं. 193, 184 की भूमि देवीसिंह के बंट में रही। अप्रार्थी सं. 05, 06, 07, 08, 09 ने मगसिंह के बंट के ख.सं. 182 में से 20 बीघा भूमि वर्ष 2012 में क्रय की। उक्त का राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज हो चुका है एवं तरमीम भी हो चुकी है। वक्त खरीद मगसिंह भूमि के खातेदार थे, उन्हें भूमि बेचान का अधिकार था। उस समय प्रार्थिया का जन्म ही नहीं हुआ था। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 की भूमि में प्रार्थिया का कोई हिस्सा नहीं बनता है। वादपत्र में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विक्रय विलेख निरस्त करने हेतु भी अनुतोष नहीं चाहा गया है। ख.सं. 182, 479 की शेष भूमि मघासिंह की मृत्यु पश्चात उनके वैधिक उत्तराधिकारी होने के नाते देवीसिंह को प्राप्त हुई। अतः अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के विरुद्ध प्रा.पत्र खारिज किया जावे। प्रस्तुत सजरा खानदान में देवीसिंह की बहिनों के नाम नहीं दर्शाए गए हैं, जिससे प्रार्थिनी को ज्यादा हिस्सा प्राप्त हो सके। मघसिंह की मृत्यु पश्चात भंवर कंवर व भगवान कंवर का 1/3 हि. देवीसिंह के पक्ष में हकतर्क किया गया। अतः यह देवीसिंह की स्वअर्जित भूमि हो जाती है। देवीसिंह के पास पुश्तैनी खातेदारी भूमि 34 बीघा 13 बिस्वा 14 बिस्वांशी है, जिसमें 1/8 हि. अनुसार प्रार्थिनी को 4 बीघा 6 बिस्वा 7 बिस्वांशी भूमि मिलती है। देवीसिंह के हिस्से में जरिए बंट आई भूमि ख.सं. 193, 184 में से 61 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 10 ता 14 को किया (घरेलू जरूरत हेतु) अप्रार्थी सं-01 का counter प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए ख.सं. 182 (69' 7" 6'''), 184, (20 बीघा), 182/2 (2" 14'''), 193 (2' 1'''), 193/1 (61 बीघा), 184 (64' 15"), 479 (33' 11") में मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करें।" उपरोक्त के आधार पर प्रा.पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- चूंकि अप्रार्थी सं. 05 ता 09, 10 ता 14 द्वारा वाद दायर होने से पूर्व ही जरिए पंजीकृत दस्तावेज भूमि खरीद कर ली गई है, अतः वे recorded खातेदार हैं। अब तक किसी

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
सक्षम न्यायालय के मुरवर आदेश द्वारा registered sale deed खारिज नहीं की जाती है, तब तक अप्रार्थी सं. 05 ता 09, 10 ता 14 tenants हैं। आज दिनांक को विवादित भूमि, जो अप्रार्थी सं. 01 के नाम से दर्ज है, उसमें से प्रार्थिनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन मानते हुए ताफैसला मूलवाद किसी प्रकार का बेचान, हस्तांतरण ना हो। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर	सहायक कलक्टर ... जोधपुर